

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
- - 0 - -
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक /12/2016

क्रमांक एफ 6-29/2015/38-1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, छ.ग.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशांसा उपरान्त श्री विनोद कुमार एक्का, उप कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर को कुलसचिव के पद पर वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड पे 8900 में पदोन्नत करते हुए, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

- 2- पदोन्नत अधिकारी आदेश जारी होने के 15 दिवस की समयवाधि में पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करे, अन्यथा संबंधित अधिकारी की पदोन्नति एकतरफा निरस्त माना जावेगा।
- 3- पदोन्नत अधिकारीगण किसी प्रकार की लिपकीय त्रुटि होने की दशा में विभाग को तत्काल सूचित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Sd/

(दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 6-29/2015/38-1
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 30/12/2016

- 01) माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर।
- 02) माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 03) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 04) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 05) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- 06) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 07) महाधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय, बिलासपुर
- 08) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 09) कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
- 10) जिला कोषालय अधिकारी, अंबिकापुर
- 11) श्री विनोद कुमार एक्का, उप कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 12) आदेश फोल्डर।

Sd/
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

M